रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1981/ज्येष्ठ 30, 1903
No. 218] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1981/JYAISTHA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 1981

अधिसूचना

सा. का. नि. 399 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 47 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 130—सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(क) क्रम सं. 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ,

(ख) क्रम सं. 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"77 सं 150/81-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1981"

[सं. 161/81-सीमाशुल्क/फा. सं. 370/7/80-सी. शु.-I]

के. चन्द्रमौलि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th June, 1981

NOTIFICATION

G.S.R. 399(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification ot fhe Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 130-Customs dated the 12th May, 1981, namely :—

In the Schedule to the said notification—

(a) Serial No. 31 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(a) after Serial No. 76 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

"77. No. 150/81-Customs, dated 20th May, 1981".

[No. 161/81-Customs/F. No. 370/7/80-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981